(a) whether It is a fact that under notification number 83|93 dated April 23, 1993 Central Excise duty on certain equijpments such as heat-exchangers, under heading 84.19 sub-heading 8419.00 had been restored from 110 percent to 15 per cent; and

(b) if so, the reasons therefor and whether representations have been received for giving retrospective effect to the notification of April 23, if so, the decision taken ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKHAR MURTHY) : (a) Yes. Sir.

(b) In the absence of a concessional rate of duty with effect from 1-3-1993, machinery, plant and laboratory equipment for treatment of material by condensing or cooling became liable to duty at the tariff rate of 110 percent. The Government subsequently issued Notification No. 83193-CE dated 23-4-1993, prescribing a concessional rate of duty of 15 percent advl. on such goods. Representations have been received for issue of Notification corrigendum to ensure that no demands are raised on the assessees manufacturing and clearing such goods during the period from 28-2-1993 to 22-4-1993. Field formations have been advised not to take coercive action on this issue.

नरसिम्हा समिति द्वारा की गई सिफारिशें

2577. **श्री अजीत जोगी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नरसिम्हा समिति द्वारा की गई मुख्य सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार इस समिति द्वारा की गई सिफारिशों को लागू करने का विचार रखती है;

(ग) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और इन सिफारिशों को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अवरार अहमद) : (क) से (घ) नरसिम्हा समिति की सिफारिश जिन्हें कार्यान्वित किया जा चुका है, में ये शामिल हैं:—सांविधिक चल निधि अनुपात (एसएलआर) और प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) में कमी, ब्याज दर ढांचे को सरल बनाना, पूंजी पर्याप्तता, आय की पहचान और प्रावधान संबंधी अपेक्षाओं से संबंधित मानदंडों का निर्धारण, बेहतर सुस्पष्टता सुनिश्चित करने के लिये तुलन-पत्र और लाभ-हानि फार्मेट की पुनरीक्षा, शाखा लाइसेंसिंग संबंधी भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों में संशोधन, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आईएफजीआई) को एक कंपनी में बदलना, नये निजी क्षेत्र के बैंकों के प्रवेश संबंधी दिशा-निर्देश जारी करना, पूंजी बाजार से उदारीकरण से जुड़े उपाय, भारतीय प्रतिभूति और एक्सचेंज बोर्ड (सेबी) को सांविधिक शक्तियां प्रदान करना, कर-रियायत के क्षेत्र में विभिन्न म्युचुअल फंडों को समान व्यवहार आदि । अभी भी समिति की प्रमुख विचाराधीन सिफारिशें ये हैं : ग्रामीण ऋण ढांचा, बैंकों और संस्थाओं द्वारा आयकर अधिनियम के अधीन बनाये गये विशिष्ट प्रावधानों के व्यकलन की क्षमता और बैंकों में अधिकारियों की भर्ती का विकेन्द्रीकरण ।

प्राथमिकता क्षेत्र ऋणों को कम करके कुल ऋण के 10% तक करने और अशोध्य और संदिग्ध ऋणों को हाथ में लेने के लिये देश व्यापी परिसंपत्ति पुनर्निर्माण निधि की स्थापना और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को विभाजित करने से संबंधित सिफारिशें सरकार द्वारा स्वीकार नहीं की गई हैं ।

GER OF BANKS

2578. PROF. SAURIN BHATTACHARYA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a)whether Government propose to merge some of the Nationalised Banks with one another; and

(b)if so, the details and terms thereof;

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. ABRAR AHMED) : (a) and (b) There is no proposal at present under consideration of the Government for merger of any nationalised bank.

LOSSES INCURRED BY PUNJAB NATIONAL BANK

2579. SHRI VIRENDRA KATARIA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Punjab National Bank is incurring heavy losses every month since the merger of New Bank of India with it; and

(b) if so, what are the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. ABRAR AHMED) : (a) and (b) Punjab National Bank have reported that the impact of merger of erstwhile New Bank of India will be known only after the accounts for the year ending 31st March, 1994 are finalised by the bank.

CHELLIAH COMMITTEE RECOMMENDATIONS

2580. SYED SIBTEY RAZI : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether some sections of Trade and Industry have requested Government to lower the corporate tax rate to 40 per cent in terms of recommendations made by the Chelliah Committee;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether Government propose to take some action on these requests; and

(d) if so, details thereof and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANIMIASHEKHAR MURTHY) : (a) and (b) Yes, Sir. A number of Associations of trade and industry in their pre-budget memoranda to the Government have suggested that the corporate tax rate may be scaled down to 40 per cent.

(c) and (d) The Government's decision thereon would be reflected in the Finance Bill, 1994.

विदेश निवेश नीति

2581. श्री अमलराय केशवांकर दवे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय बाजार को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए अपनी विदेशी निवेश नीति को और उदार बनाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) अनुमोदित विदेशी निवेश प्रस्तावों के लिए विदेशी मुद्रा का तत्काल वितरण सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) हालांकि सरकार ने अभी हाल ही में विदेशी निवेश हेतु नीति को और उदार बनाने का निर्णय नहीं किया है, तथापि यह स्वीकार करना चाहिए कि ऐसा उदारीकरण एक निरन्तर और चलते रहने वाली प्रक्रिया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) दिए गए अनुमोदनों के प्रति विदेशी निवेश का वास्तविक अन्त: प्रवाह परियोजना आरंभ करने से पहले की अवधि और विदेशी निवेशक के निर्णय पर, कि वह कार्यान्वयन कब आरम्भ करे, निर्भर करता है ।

अल्पसंख्यकों के आर्थिक उत्थान के लिए नई योजनाएं

2582. मौलाना मोहेबुल्ला खान नदवी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार अल्पसंख्यकों के आर्थिक उत्थान के लिए कुछ नई योजनाएं आरंभ करने का विचार रखती है;